राज्य योजना /चालू कार्य
संख्या–2432/बयालिस–2010/54 निर्माण/2008

प्रेषक,

डा0 ललित वर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद उत्तर प्रदेश,
खेल निदेशालय, लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 अगस्त, 2010

विषयः–ग्रीनपार्क कानपुर में विभागीय पैवेलियन (लिफ्ट सहित) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1343/बयालिस–2009–54–निर्माण/2008, दिनांक 21 अगस्त, 2009 एवं आपके पत्र संख्या–जी0 62/नि0 ग्रीनपार्क /2008–09 दिनांक 28–4–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में ग्रीनपार्क कानपुर में विभागीय पैवेलियन (लिफ्ट सहित) के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000/–(रू0 पांच करोड़ मात्र) की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

2–उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,00,00,000/–(रू0 पांच करोड़ मात्र) निदेशक खेल द्वारा, दो Equal किश्तो में, कोषागार से आहरित करके संबंधित कार्यदायी संस्था ग्लोबल कंस्ट्रक्सन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। पहली किश्त, माह अगस्त, 2010 में आहरित की जाये, और दूसरी किश्त 02 करोड़ रू0 के व्यय के सदुपयोगता प्रमाण–पत्र, शासन द्वारा सम्यक पाये जाने के उपरान्त, आहरित की जायेगी। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति उपलब्ध परिव्यय एवं बजट व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा रही है। कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निश्चित समय में स्वीकृत लागत में ही, पूर्ण किया जायेगा ।

3–प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नही की जायेगी। निर्गत की जाने वाली धनराशि का शतप्रतिशत व्यय कार्यो को पूर्ण करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा कार्यो की स्वीकृत लागत में पूर्ण कर स्टेडियम को कियाशील किया जायेगा, तथा कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। मात्राओ को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे खेल निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

..2/–

4–प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना हेतु किसी भी स्रोत से धनराशि निर्गत नहीं की गयी है न ही यह कार्य अन्य स्रोत से वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है। कार्यो को स्वीकृत लागत में ही समय से किया जायेगा। कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर बनाते हुए सक्षम स्तर से शासनादेश संख्या–ई–8–303/दस–06–89/2004, दिनांक 2 मार्च 2006 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। कार्यो को निर्धारित मानकों/विशिष्टियों के आधार पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत पर ही कार्य को समय से पूरा किया जायेगा। अन्य शर्ते उपयुर्क्त मूल शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2009 के अनुसार यथावत रहेगी। तथा समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों/वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5–उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत–03–खेलकूद तथा युवा सेवा–800 अन्य व्यय–17 – कानपुर में विभागीय पैवेलियन (लिफ्ट सहित) का निर्माण –24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6–उक्त स्वीकृति वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप–संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010., दिनांक 26 मार्च, 2010 में प्रतिनिधानित अधिकारो के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(डा0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2432 (1)/बयालिस–2010–तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0.इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4–जिलाधिकारी, कानपुरनगर/क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी कानपुर ।
5–निदेशक, ग्लोबल कंस्ट्रक्सन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर लखनऊ।
6–वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/2
7–वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–5
8–नियोजन अनुभाग–4
9–मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0शासन।
10–निजी सचिव मा0 मंत्रीजी/ प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 शासन।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।